

## राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: कोरोना / 2020 / 347

दिनांक: 28/3/20

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय : COVID-19 रोगियों का उपचार चिह्नित मेडिकल कॉलेज में कराने बाबत्।

उपरोक्त विषय मे लेख है कि COVID-19 के संक्रमण के वर्तमान प्रसार स्थिति एवं चिकित्सकों/स्टॉफ की अधिक आवश्यकता स्क्रिनिंग आदि कार्य में होने के मद्देनजर निर्देशित किया जाता है कि COVID-19 रोगियों का उपचार निम्नानुसार सम्बन्धित जिले उन्हे आवंटित मेडिकल कॉलेज में भेज कर करायें।

- एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर – जयपुर, अलवर, सीकर, झूँझूनु, दौसा, अजमेर, नागौर, टोंक, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर।
- डॉ एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर – जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही।
- आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर – उदयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, छूंगरपुर, चितौड़गढ़, प्रतापगढ़।
- एमजीएम मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा – भीलवाड़ा।
- एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर – बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर।
- न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा – कोटा, झालावाड़, बून्दी, बांरा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प्रोक्टोविभाग,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।

क्रमांक: कोरोना / 2020 / 347

दिनांक: 28/3/20

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प्रोक्टोविभाग, राजस्थान।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
- निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
- निदेशक, परिवार कल्याण/आरसीएच, मुख्यालय।
- अतिरिक्त निदेशक (ग्रा० स्वा०), मुख्यालय।
- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, समस्त।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-समस्त।
- संबंधित नोडल ऑफिसर, मुख्यालय।
- अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय, सैटेलाइट/जिला/उपजिला चिकित्सालय, समस्त।
- प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते संबंधित को ई-मेल व वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर